निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 134 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट के माह 03/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 21/02/2019 से 28/02/2019 तक श्री अनिल कुमार जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-।

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी॰ के॰ श्रीवास्तव, श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 06/03/2018 से 16/03/2018 तक श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2016 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः .....
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							गैर स्थापना		स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	-	-	1268.76	1268.76	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-	890.36	890.36	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-	898.81	805.93	-	-	-	92.88

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

4. गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

    1. सचिव,
    2. प्रमुख अभियंता,
    3. मुख्य अभियंता,
    4. अधीक्षण अभियंता,
    5. अधिशासी अभियंता,

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। मूलाकोट कांडे भुइया मोटर मार्ग का विस्तृत विश्लेक्षण किया गया। प्रतिचयन अधिक व्यय लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया ।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

6.अधीक्षण अभियंता द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में एक बार दिनांक 02/2018 को निरीक्षण किया गया।

7.खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ..... तथा ..... तक की गई।

8.फार्म 51: माह 01/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

भाग प्रथम ` (-) 2768046.77/-

भाग द्वितीय ` 1699970.00/-

9.खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2019 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	` 5948627.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 46176420.00/-
(ङ)	भण्डार	` 7537070.00/-

भाग – 2 ब

प्रस्तर –1 वित्तीय नियमों के विपरीत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना निविदाए आमंत्रित किया जाना एवं रू0 3.27 लाख की रायल्टी की कम वसूली किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावाली 2008 की कण्डिका (29- **निर्माण कार्य की कार्य-विधि**) के अनुसार तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत मूलाकोट काण्डे भुइयॉ मोटर मार्ग (10 कि.मी.) के निर्माण हेतु रू0 519.32 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी (11/2016)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ द्वारा समान धनराशि की प्रदान की गई थी (12/2016)। कार्य हेतु एक अनुबन्ध संख्या 12/एस0ई0 दिनॉक 30/12–2016 धनराशि रू0 4.51 करोड़ का ठेकेदार के साथ गठित किया गया था। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि क्रमशः 30–12–2016 तथा 29–6–2018 थी।

अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा वित्तीय नियमों के विपरीत तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही कार्य की निविदा आमंत्रित कर ली गई थी। आगे जॉच में यह भी पाया गया कि खण्ड द्वारा कार्य में प्रयोग की गई Grit एवं Stone पर रू0 194.00 की बजाय रू0 154.00 की दर से रायल्टी की कटौती की गई थी जिसके कारण ठेकेदार के बिलों से रू0 3.27 लाख की कम वसूली/कटौती की गई थी।

रायल्टी की कम वसूली/कटौती सम्बन्धी प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि रू0 3.27 लाख की कटौती ठेकेदार के देयक से कर ली जायेगी। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदाए आमंत्रित करने सम्बन्धी प्रकरण में खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्य की महत्ता को देखते हुए एवं कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व निविदा आमंत्रित करना वित्तीय नियमों का उल्लंघन तो है ही साथ ही कार्य भी शीघ्र पूर्ण होने के बजाय **कार्य**

समाप्ति की निर्धारित तिथि के लगभग 8 माह बीत जाने के बाद भी वर्तमान तक अपूर्ण है। **साथ ही खंड द्वारा लेबर सेस की कटौती की गणना त्रुटिपूर्ण थी।**

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर (2):- विभिन्न टेलीकॉम कंपनियो से रोड कटिंग के लिए प्राप्त धनराशि का ना ही सदुपयोग किया गया और ना ही नियमानुसार विभागीय प्राप्ति शीर्ष में प्रेषित किया गया था - ` 330.45 लाख।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट (चम्पावत) द्वारा संधारित की जा रही निक्षेप पंजिका के भाग-III से ज्ञात होता है कि विभिन्न टेलीकॉम कंपनियो के द्वारा `349.57लाख की राशि मार्च 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य प्राप्त हुई थी। प्रश्नगत राशि में से केवल `19.12 लाख की राशि व्यय हुई थी तथा शेष राशि `330.45 लाख की राशि का उपयोग नहीं हो पाया है और निक्षेप में पड़ी है। **निक्षेप पंजिका के अनुसार विभिन्न टेलीकॉम कंपनियो से रोड कटिंग के लिए प्राप्त धनराशि का विवरण**

क्रम संख्या	प्राप्ति की माह	राशि (` में)	व्यय (` में)	शेष (` में)
2	मार्च 2018	7202477.00	1912600.00	33044922.00
	अक्टूबर 2018	17973504.00		
	दिसम्बर 2018	9781547.00		
कुल		**34957528.00**	**1912600.00**	**33044922.00**

अभिलेखो की जांच से ज्ञात हुआ कि रिलायंस जियो से मार्च 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य `349.57 लाख की राशि प्राप्त हुई थी परंतु अभिलेखो से यह ज्ञात नहीं हो सका कि कितनी राशि का प्रस्ताव रिलायंस जियो को प्रेषित किया गया था और ना ही लेखा परीक्षा अवलोकन के उत्तर में इस तथ्य से अवगत कराया गया था। उल्लेखनीय है कि टेलीकॉम कंपनी के केबल और OFC बिछाने के क्रम में मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसे पूर्व अवस्था में लाने के लिए एवं यातायात सुचारु रखना आवश्यक होता है। इस कार्य का सम्पादन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है और जैसा खंड द्वारा अवगत कराया गया कि इस राशि को निक्षेप में डाला जाता है और उच्चाधिकारियों से DCL की अनुमति प्राप्त कर क्षतिग्रस्त मार्ग के लिए अनुबंध का गठन कर मार्ग का मरम्मत कराया जाता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्राइवेट संस्था से प्राप्त राशि को विभाग के प्राप्ति शीर्ष में प्रेषित किया जाता है और साख-सीमा प्राप्त कर कार्य संपादित कराया जाता है। अनुबन्धो के नमूना प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि यातायात को सुचारु रखने के लिए मार्ग को पूर्व अवस्था में लाने का कार्य मॉनसून 2018 के पूर्व पूर्ण किया जाना था जबकि वर्तमान तक केवल `19.12 लाख की राशि ही व्यय की जा सकी है। पुनः इस कार्य को संपादित किए जाने के लिए ना ही आगणन और ना ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। इस

प्रकार, टेलीकॉम कंपनी से प्राप्त राशि को ना ही नियमानुसार विभागीय प्राप्ति शीर्ष में प्रेषित किया गया और ना ही इसका सार्थक प्रयोग किया गया था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर, खंड द्वारा न ही अनुबंध-वार व्यय की सूचना उपलब्ध कराई गई थी और ना ही आगणन एवं तकनीकी स्वीकृति की प्रति उपलब्ध कराई गयी थी। राशि को प्राप्ति लेखा शीर्ष में नहीं प्रेषित किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि प्रमुख अभियंता/विभागाध्यक्ष के पत्रांक 1099/10 प्रकीर्ण उत्तराखंड दिनांक 22 सितम्बर 2016 में दिये गए आदेशानुसार विभहीन संस्थाओ द्वारा रोड कटिंग करने के उपरांत जो धन राशि विभाग में जमा की जाती है, उससे क्षतिग्रस्त हुए मार्ग की मरम्मत का कार्य कराया जाता है ताकि मार्ग को पूर्व अवस्था में लाया जा सके।

खंड का उत्तर निधि प्रयोग करने के संबंध में अपर्याप्त है और निधि को प्राप्ति लेखा शीर्ष में नहीं प्रेषित किए जाने के संबंध में नियमानुकूल नहीं है।

भाग – दो 'ब'

प्रस्तर-3 रु0 88.67 लाख जी0एस0टी0 के भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जी0एस0टी0 विभाग को नहीं किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट के माह 07/2017 से माह 09/2018 तक केजी0एस0टी0 भुगतान अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि खंड के अंतर्गत किए गये निर्माण कार्यों के क्रम में ठेकेदारों को रु0 88,66,760(सूची संलग्न) जी0एस0टी0 भुगतान किया गया।उक्त जी0एस0टी0 का भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जी0एस0टी0 विभाग, लोहाघाट को आवश्यक कार्यवाही हेतु नहीं किया गया, जिससे भुगतान किए गये जी0एस0टी0 सरकार के खजाने में जमा / समय से जमा किया गया अथवा नहीं, की सुनिश्चिता तय नहीं की जा सकी।

उपरोक्त के इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतः खण्ड द्वारा उत्तर नहीं दिया जाना लेखापरीक्षा अवलोकन की स्वीकारोक्ति है।

अतः रु0 88.67 लाख जी0एस0टी0 के भुगतान की सूचना संबन्धित सहायक आयुक्त, राज्य कर / जी0एस0टी0 विभाग, लोहाघाट को नहीं किया जाना का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - 03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
52/2009-10	02, 03, 04	-	
62/2015-16	01	-	
97/2017-18	-	01, 02	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खंड ने उत्तर में बताया कि विगत लेखा-परीक्षाओं के अनिस्तारित प्रकरणो की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति के पश्चात कार्यालय महालेखाकार को प्रेषित कर दी जाएगी, अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री भुवन चन्द्र पंत	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंध रहे।**
   (i) श्री ललित कुमार विगत लेखापरीक्षा से 30 जुलाई 2018 तक।
   (ii) श्री निखिल राज 01 अगस्त 2018 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2,कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II